

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में  
दिनांक 29.11.2025 को  
अपरान्ह 04:00 बजे नारकोटिक्स  
( NCORD) से संबंधित बैठक

# चर्चा के मुख्य बिन्दु

क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नामित सदस्य, क्षेत्राधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) जनपद सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर मुखबिरी तंत्र विकसित करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु प्रवर्तन मूलक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में –

व्यापार कर सम्भल, केन्द्रीय माल और सेवाकर, सम्भल, पुलिस एवं आबकारी विभाग सम्भल रोड चैकिंग के दौरान विशेषकर राज्यीय/अन्तर्राज्यीय गांजे/मादक पदार्थों की तस्करी कर जनपद में दाखिल होने वाले मुख्य राजमार्गों पर संदिग्ध वाहनो की सघन जाँच किये जाने के सम्बन्ध में –

चिकित्सा विभाग एवं औषधि प्रशासन– कार्यालय आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या– ड्रग /8322/ लखनऊ दिनांक 15.08.2022 के अन्तर्गत अंकित औषधियों को विक्रय एवं भण्डारण की सीमा निर्धारित की गयी है। समस्त दवा विक्रेताओं को नोटिस जारी कर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नारकोटिक्स दवाई न दिये जाने एवं प्रिस्क्रिप्शन पर भी एक सप्ताह से अधिक की दवाई न दिये जाने एवं ग्राहक की प्रिस्क्रिप्शन व आई0डी0 लेकर मनःप्रभावी औषधि की बिक्री करने हेतु निर्देशित किया जाये। थोक एवं फुटकर विक्रयकर्ता मेडिकल स्टोर्स पर पुलिस, आबकारी एवं औषधि प्रशासन विभाग सतत निगरानी रखने तथा मनःप्रभावी औषधि यथा कोडीन (**Codeine**), ऐल्प्रक्स (**alprax**) आदि की चैकिंग किये जाने के सम्बन्ध में –

वन विभाग एवं कृषि विभाग नारकोटिक्स पदार्थों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये प्रभावी कार्यवाही किये जाने, जिले में अफीम या भांग की फसल की अवैध खेती की निगरानी किये जाने के सम्बन्ध में –

जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग एक युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत जनपद में स्थित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बीच ड्रग्स एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में प्रत्येक विद्यालय में एक “युद्ध नशे के विरुद्ध” विषय पर निबन्ध, प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक शनिवार को तथा प्रतिदिन प्रार्थना स्थल पर बच्चों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध प्रतिज्ञा दिलाते हुए उक्त के सेवन से दूर रहने हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

समाज कल्याण– प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा **COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act. )** अधिनियम लागू कराया गया है एवं सहायता हेतु टोल फ्री नं. जारी किया गया है तथा “प्रहरी” नाम से वालंटियर ग्रुप बनाया गया है। शासनादेश में राज्य विश्वविद्यालय /डिग्री कालेज के 100 मीटर की सीमा में कोई तम्बाकू की दुकान न हो। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने तथा सभी शिक्षण संस्थानों में नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से आयोजित करने एवं शिक्षक वर्ग को भी सभी प्रकार के नशे की मूलभूत जानकारी देकर प्रशिक्षित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद सम्भल–किसी भी स्कूल/कालेज के पास 100 मी0 के दायरे में तम्बाकू को प्रतिबन्धित किया जाये। सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबन्धित मादक पदार्थों का विक्रय एवं सेवन न हो सके, इस हेतु सघन जांच, निरीक्षण एवं आकस्मिक चैकिंग करायी जाये।

## बिन्दु संख्या-1

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा विकसित मानस पोर्टल एवं समग्र भारत में ड्रग्स की शिकायतों हेतु जारी हेल्प लाईन नं0. 1933 का निम्नानुसार प्रचार-प्रसार समस्त ग्राम पंचायतों, ब्लाक, नगरपालिकाओं, नगर पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सभी सरकारी कार्यालयों में पूर्ण रूप से कराया जाये।

### “एक युद्ध नशे के विरुद्ध”

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, कोकीन, मारफीन एवं अन्य नशीली दवाइयों की बिक्री किया जाना पाया जाता है तो उसकी सूचना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

टोल फ्री नम्बर

# 1933

(कार्यवाही समस्त कार्यालयाध्यक्ष/ग्राम पंचायत/नगरपालिका/  
नगर पंचायत/मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद सम्भल।)

## बिन्दु संख्या-1 की अनुपालन आख्या

आबकारी विभाग सम्मल द्वारा श्री राजेश कुमार, सरसवती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, चन्दौसी, ग्राम पथ्लामिठनपुर, नगलापूर्वा, मौलागढ विकास खण्ड बनियाखेडा, चन्दौसी, जनपद सम्मल में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1933 का प्रचार प्रसार किया गया है।





## बिन्दु संख्या-2

व्यापार कर एवं आबकारी विभाग संयुक्त रूप से जनपद सम्भल के राजमार्गों व अन्य जनपद से आने वाले मार्गों पर रोड चैकिंग के समय अवैध शराब व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के दृष्टिगत संदिग्ध वाहनो की सघनता से जाँच किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। मुखबिर तंत्र विकसित कर मादक पदार्थों की तस्करी पर कठोर कार्यवाही की जाये। आगामी बैठक में निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाय। समर्थ यूपी पोर्टल पर सुझाव दिलवाये जाय।

(कार्यवाही व्यापार कर/केन्द्रीय माल और सेवाकर/आबकारी/पुलिस विभाग जनपद सम्भल)

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनो की संख्या	मादक पदार्थो के पकडे गये अभियोगो की संख्या एवं विवरण

## अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-2

### राज्य व्यापार कर विभाग

सहायक आयुक्त (प्रभारी) राज्य कर, सचल दल चतुर्थ इकाई मुदादाबाद द्वारा अपनी अनुपालन आख्या दिनांक 12.11.2025 में अवगत कराया कि इस इकाई द्वारा माह अक्टूबर 2025 में कुल 1049 वाहनों की जाँच की गयी तथा 11 वाहन दोषी पाये गये, जिन पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए अभिग्रहित मूल्य रू0 33.18 लाख के सापेक्ष रू0 30.21 लाख अर्थदण्ड जमा कराया गया। उक्त वाहनो में से कोई भी वाहन मादक पदार्थ से सम्बन्धित नहीं था और न ही कोई जाँच के समय पाया गया भविष्य में यदि कोई मादक पदार्थ से सम्बन्धित वाहन जाँच के समय पाया जाता है, तो तत्काल सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित कर दी जायेगी ।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकड़े गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	1049	0

## बिन्दु संख्या-2 की अनुपालन आख्या आबकारी विभाग

आबकारी विभाग के क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद सम्भल के राजमार्गों पर पड़ने वाले ढाबों की चैकिंग गयी। अवैध मदिरा की तस्करी एवं मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री को पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाने हेतु निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही एवं रोड चैकिंग की गयी, जिसमे अवैध मदिरा मादक पदार्थों की बिक्री नहीं पायी गयी। माह अक्टूबर 2025 में उक्त कार्यवाही के दौरान 485 स्थानों पर छापे मारे गये तथा 68 अभियोग पंजीकृत किये गये जिसमें 1475.60 ब.ली. अवैध मदिरा बरामद की गयी। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा गवाँ-अनूपशहर मार्ग, चन्दौसी बहजोई मार्ग, एवं सिरसी-सम्भल मार्ग पर लगभग 58 वाहनों की रोड चैकिंग की गयी। उक्त कार्यवाही में भी कोई अन्य मादक पदार्थों की बरामदगी नहीं हुई है।

आबकारी विभाग सम्भल द्वारा ग्राम धामपुर कानऊ, कमालपुर, फरीदपुर खुशहाल, विकास खण्ड बहजोई, ग्राम भवांच, मण्डलाई, खानपुर खुम्मार, कमालपुर सराय विकास खण्ड सम्भल, ग्राम नूरपुर, मीरमपुर, गोठना, बसला, विकास खण्ड गुन्नौर ग्राम देवर कंचन विकास खण्ड जुनावई, ग्राम नगला पूर्वा, मौलागढ, पैतिया, पल्थामिठनपुर विकास खण्ड बनियाखेडा में समर्थ यूपी पोर्टल पर सुझाव दिलवाये गये।

क्र.सं.	चेक किये गये वाहनों की संख्या	मादक पदार्थों के पकड़े गये अभियोगों की संख्या एवं विवरण
1	58	0





GPS Map Camera



**Band Gangabas, Uttar Pradesh, India**  
Mobile Tower, Nh 93, Band Gangabas, Uttar Pradesh 243722, India  
Lat 28.193293° Long 78.404712°  
06/11/25 12:21 PM GMT +05:30












GPS Map Camera



**Babralla, Uttar Pradesh, India**  
Babralla, Babralla, Uttar Pradesh 243751, India  
Lat 28.262473° Long 78.406808°  
03/11/25 02:14 PM GMT +05:30



 Sambhal, Sambhal, Uttar Pradesh, India  
Lat: 28.610355, Long: 78.524810  
2025/10/07, 07:19:09  
Note: Captured by GPS Map Camera  
GMT +05:30

 21.0°C	 77.4	 -214.2	 12.2 Km/h
 86	 1011.0 hPa	 186.40	 1414.0

### बिन्दु सं०-३

जनपद में स्थित दवाइयों के 300 दुकानदारों के साथ बैठक की जाये। बैठक में मनःप्रभावी औषधि की जानकारी एवं मेडिकल कालेजों में समर्थ यूपी पोर्टल पर सुझाव दिलवाये जाये। जनपद सम्भल में अवैध रूप से दवाई देने फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। डाक्टर द्वारा मरीजों को प्रेस्क्रिप्शन में दिये जाने वाले मनःप्रभावी औषधि अधिकतम एक सप्ताह की लिखी जाये तथा मेडिकल स्टोर्स द्वारा ग्राहक से प्रिस्क्रिप्शन व आई.डी. लेकर ही मनःप्रभावी औषधि की बिक्री की जाये तथा निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत की जाये।

( कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी / औषधि निरीक्षक )

क्र.सं.	अस्पताल/अन्य डॉक्टर का नाम	जाँच किये गये मेडिकल स्टोर्स का नाम

## अनुपालन आख्या बिन्दु सं०-३

औषधि निरीक्षक, जनपद सम्भल द्वारा अपने पत्रांक एफएसडीए/ औनि/2025-26/218 दिनांक 12.11.2025 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि जनपद के सभी मेडिकल स्टोर स्वामियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि वह अपने माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में सुझाव यूपी पोर्टल पर दिलवायें। महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तहसील सम्भल के ग्राम मिढौली, खरगूपुरा, पोटा तहसील गुन्नौर के ग्राम सुल्तानगढ़, तहसील चन्दौसी के ग्राम गुरगांव आदि ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों के साथ संयोजन स्थापित कर उन्हें यूपी पोर्टल पर सुझाव देने हेतु प्रेरित कर सुझाव दिलवाये गये हैं। साथ ही यह भी अवगत करांना है कि महोदय अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरन्तर औचक निरीक्षण कर यह जांच की जा रही है कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में लिखी अवधि की ही मनःप्रभावी औषधियाँ ही मरीज को विक्रय की जा रही है।



## बिन्दु सं०-४

सामाजिक व आध्यात्मिक संस्थाएँ यथा गायत्री परिवार, ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार-प्रसार किया जाय। समस्त आबकारी निरीक्षक जनपद सम्मेलन एवं गायत्री परिवार व ब्रह्मकुमारी प्रजापिता सामाजिक संस्था प्राइवेट स्कूलों/कालेज एवं मेडिकल कालेज /अन्य महाविद्यालयों में नशा मुक्ति का प्रचार-प्रसार एवं शपथ समारोह आयोजित कर विद्यार्थियों को नशा के विरुद्ध जागरूक करेंगे। यथासम्भव कैंसर पीडित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर उनको अपने प्रोग्रामों में सम्मिलित करे।

(कार्यवाही जिला विद्यालय निरीक्षक/समाज कल्याण विभाग  
बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्मेलन/आबकारी विभाग/गायत्री परिवार/ब्रह्मकुमारी संस्था)

क्र.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल		
2	इन्टरमिडिएट		
3	डिग्री कालेज		
4	अन्य		
	योग		

## बिन्दु संख्या-4 अनुपालन आख्या

समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी सम्मल, गायत्री परिवार एवं ब्रह्मकुमारी प्रजापति द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	कार्यक्रम स्थल/ स्कूल /कालेज	आयोजित कार्यक्रमों संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग /शपथ करने विद्यार्थियों/लोगो की विवरण
1	हाई स्कूल	1303	158893
2	इन्टरमिडिएट	15	3036
3	डिग्री कालेज	0	0
4	अन्य	6	1150
	योग	1324	163079

## बिन्दु संख्या-4 की अनुपालन आख्या

जिला आबकारी अधिकारी, सम्भल एवं आबकारी निरीक्षको द्वारा श्री राजेश कुमार, सरसवती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज, चन्दौसी तथा ग्राम पथ्लामिठनपुर, नगलापूर्वा, मौलागढ विकास खण्ड बनियाखेडा, चन्दौसी, जनपद सम्भल में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” के तहत नशा मुक्ति का प्रचार प्रसार किया गया तथा स्कूल में लगभग 900 विद्यार्थियों एवं अध्यापको नशा मुक्ति की शपथ दिलवायी गयी। अन्य लगभग 250 लोगों को जागरूक किया गया।

# आबकारी विभाग



# आबकारी विभाग





# ब्रह्मकुमारी प्रजापिता





## बिन्दु संख्या-5

COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act.) अधिनियम के तहत शत प्रतिशत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में बनाये गये प्रत्येक “बाल संसद” एवं “प्रहरी क्लब” द्वारा अपने स्कूल/कालेज में “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” आयोजित कार्यक्रमों में किये गये कार्यों का विवरण फोटो सहित प्रस्तुत किया जाय। माह में आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार प्रारूप में उपलब्ध कराये—

(कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक  
/बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल)

क्र.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद			
2	प्रहरी क्लब			
	योग			

## बिन्दु सख्या-5 की अनुपालन आख्या


बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्भल द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के अन्तर्गत "एक युद्ध नशे के विरुद्ध" का प्रचार प्रसार कराया गया जनपद के स्कूलों/कालेजो में नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किये गये एवं नशा मुक्ति की शपथ करायी गयी।

क.सं.	ग्रुप का	बाल संसद /प्रहरी क्लब की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग/शपथ करने विद्यार्थियों की संख्या
1	बाल संसद	1289	1289	157517
2	प्रहरी क्लब	1289	1289	157517
	योग	2578	2578	315034

# जिला विद्यालय निरीक्षक



# बेसिक



# शिक्षा





75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



# नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अपील नशे से आजादी

जीवन को हाँ कहें,  
ड्रग्स को ना

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार  
प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।  
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

(जिला आबकारी अधिकारी) (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) (जिलाधिकारी)  
सम्भल सम्भल सम्भल



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव



## नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान नशे से आजादी

“जीवन को हाँ कहें, ड्रग्स को ना”

ड्रग्स का उपयोग और अवैध व्यापार प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है।  
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो  
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

जिला आबकारी अधिकारी  
सम्भल

पुलिस अधीक्षक  
सम्भल

जिलाधिकारी  
सम्भल



## जिन्दगी चुनें नशा नहीं

नशा समस्याओं का निदान नहीं अपितु समस्याओं की जड़ है।

अतः आज ही नशा छोड़ने का संकल्प लें।

नशा नहीं खुशी अपनाइये

जिला मद्यनिषेध अधिकारी  
सम्भल

जिला आबकारी अधिकारी  
सम्भल

जिलाधिकारी  
सम्भल

## बिन्दु सं.-6

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को डी.पी.एम.यू. के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जाये। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर से आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार के स्तर से आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, जिसे भी डी.पी.एम.यू. की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाये।

**(कार्यवाही औषधि निरीक्षक/प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल/ जिला आबकारी अधिकारी सम्भल)**

## अनुपालन आख्या बिन्दु सं.-6

जनपद में नशा मुक्त भारत अभियान के अन्तर्गत आयोजित सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों को प्रभारी डी.पी.एम.यू. सम्भल को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रभारी डी.पी.एम.यू. द्वारा सम्बन्धित वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। देश में ड्रग्स को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के स्तर से आपरेशन कवच एवं राज्य सरकार के स्तर से आपरेशन सवेरा चलाया जा रहा है, को भी डी.पी.एम.यू. द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है।

“एक युद्ध नशे के विरुद्ध”  
“नशा मुक्त भारत अभियान”  
“नशे को ना जीवन को हॉँ”

**NCORD**